

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या

दायर दिनांक

निर्णय दिनांक

218/2023

08.06.2023

26.02.2024

उनवान

1. कालु बलाई पुत्र श्री काना बलाई जाति बलाई, उम्र वयस्क निवासी धांगडास, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)

—प्रार्थी

बनाम

1. शिवराज जाट पिता भंवर लाल जाट, जाति जाट उम्र वयस्क निवासी कान्दा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
2. भोना बलाई पिता बरदा बलाई, उम्र उम्र वयस्क निवासी कान्दा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
3. चतरा पिता बालु बलाई उम्र वयस्क निवासी कान्दा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
4. सोहन लाल पिता गोवर्धन ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी कान्दा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
5. चांद देवी पत्नी गोपाल लाल बलाई उम्र वयस्क निवासी कान्दा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
6. सीता देवी पत्नी जमनेश खटीक उम्र वयस्क निवासी कान्दा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
7. कैलाश पिता मदन ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी कान्दा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
8. भोना बलाई पिता रामचन्द्रा बलाई, उम्र वयस्क निवासी कान्दा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज0)

—विपक्षीगण


उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी शंकर लाल नायक

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धांगडास प0ह0 कान्दा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 26 की अभिलिखित आराजियात 285, 286, 290, 291, 30/4, 308, 309, 310, 34/2, 34/3 कुल किता 10 कुल रकबा 2.1243 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।


  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा धांगडास प0ह0 कान्दा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 26 की अभिलिखित आराजियात 285, 286, 290, 291, 30/4, 308, 309, 310, 34/2, 34/3 कुल कित्ता 10 कुल रकबा 2.1243 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(आव्हान निवृत्ति सोमनाथ)

सहायक अधिकारी  
भीलवाडा